न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमति निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 185 / 2020

1. गोपाल पुत्र रोडू जाति रेगर, निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।
2. पीरू पुत्र गणेश, जाति रेगर, निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान ।

– प्रार्थी

विरुद्ध

1. लादू पुत्र गणेश, जाति रेगर, निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान।
2. हनुमान पुत्र गणेश, जाति रेगर, निवासी ग्राम वान्दरसिन्दरी, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ, जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, जिला अजमेर।

–अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता

उपस्थित वकील प्रार्थीः– श्री भवानी सिंह
वकील अप्रार्थीः– एकपक्षीय

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगणों की ओर से वकील श्री भवानी सिह ने उपस्थित होकर एक निवेदन किया कि प्रार्थ्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2 के अधिकार, खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राग बान्दरसिन्दरी, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर में निम्नांकित विवरण की अवस्थित हैं रू–खसरा संख्या 150 / 1 रकबा 08 बीघा 18 बीस्वा, 150 / 2 रकबा 04 बीघा 05 बीस्वा उपरोक्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 एकाकी खातेदार, काबिज, काश्तकार है। खसरा सं० 168/1 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, खसरा सं० 168 / 2 रकबा 03 बीघा 03 बीस्वा, खसरा संख्या 597, 598, 600 कुल खसरा 05 कुल रकबा 21 बीघा 15 बीस्वा उपरोक्त भूमि में प्रार्थी संख्या 2 एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2 बहिस्सा बराबर–बराबर के सह खातेदार, काबिज, काश्तकार है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 (ब) में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 2 एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2 की सह खातेदारी, हिस्से, अधिकार की भूमि हैं, जिसमें प्रार्थी संख्या 2 हिस्से 1/3 एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2 प्रत्येक 1/3 हिस्से पर खातेदार, काबिज, काश्तकार है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2 अनुसूचित जाति के कमजोर वर्ग के सदस्य है तथा उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 3 प्रार्थीगण के उपरोक्त कमजोर, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के रहते हुये गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों के राजनैतिक दबाव, प्रभाव में आकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि में से अवैध, अनाधिकृत रूप से रास्ता निकालने में उद्दत हो रहे है तथा यह पहलू भारतीय संविधान के अधीन सुरक्षित एवं संरक्षित है कि, किसी के साम्पत्तिक अधिकारो को बिना किसी विधिक प्रकिया के संकुचित नहीं किया जाना चाहिये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300–ए के अधीन साम्पत्तिक अधिकारों को मूलभूत अधिकार के रूप में सुरक्षित एवं संरक्षित किया है। प्रार्थीगण का यह वाद मूलतः इस अनुतोष के अधीन है कि, प्रार्थीगण के अधिकार, [illegible] की प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि में अप्रार्थी संख्या 3 अविधिक प्रक्रिया [illegible] जबरन रास्ता नही निकालें एवं यह पहलू विधि से सुरक्षित है कि, किसी खातेदार के [illegible] की भूमि में से उसकी भूमि आवाप्त किये बिना रास्ता नही निकाला जा सकता है एवं यह [illegible] विधि से सुस्थापित है कि, यदि किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति में यदि उसके साम्पत्तिक [illegible] अधिकारों को संकुचित करने जैसा कोई कृत्य किया जाता है तो उसके प्रतिकूल वह अपने साम्पत्तिक अधिकारों को सुरक्षित रखने जैसा अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी रहता है। अप्रार्थी संख्या 3

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

के 04.09.2020 को प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि पर आकर, प्रार्थीगण को डराने लगा उपरोक्त भूमि पर वह जबरन अपने लोक अधिकारी का अनुचित लाभ उठाकर, प्रार्थीगण की भूमि से येन–केन–प्रकरणेन रास्ता निकालकर रहेगा, उसके बाबत् उस पर राजनैतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों का दबाव है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 3 को निवेदन किया कि, वह अविधिक रूप से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि में जबरन प्रार्थीगण के अधिकारों की सम्पत्ति में प्रार्थीगण के अधिकार संकुचित किये जैसा कोई कृत्य नही करें, किन्तु अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि, यदि प्रार्थीगण ने 10 व्योम में सहमति प्रकट नही की तो उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 3 पुलिस बल के सहारें अवैध, अनाधिकृत रूप से प्रार्थीगण की भूमि मे जबरन रास्ता निकालकर रहेंगे तथा इस बाबत् वह राजस्व रिकार्ड में भी भूमिधारी होने के कारण राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व ट्रेस में भी इस बाबत् मिथ्या प्रविष्टियां कर देंगे। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 3 के उपरोक्त अविधिक आचरण से यह शंका हो गयी है कि, कभी भी अप्रार्थी संख्या 3 उपरोक्त प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण के अधिकार, मिलकीयत की भूमि में अवैध, अनाधिकृत रूप से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार के रहते हुये अवैध, अनाधिकृत कृत्य के अनुक्रम में बलात् प्रवेश कर उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन, परिवर्धन कर जबरन बलात, बेदखल कर रास्ता निकाल देंगे। अप्रार्थी संख्या 3, अप्रार्थी संख्या 4 के अधीनस्थ है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 4 को भी इस प्रार्थना पत्र में प्रोपर पक्षकार होने से संयोजित किया है। अप्रार्थी संख्या 1, 2 उपरोक्त भूमि के सह खातेदार होने से उनके द्वारा आनुपातिक वाद व्यय वहन करने में उदासीनता प्रकट किये जाने से पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1. 2 उपरोक्त प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि के खातेदार, काबिज, काश्तकार हैं तथा अप्रार्थी संख्या 3 भू–धारी होकर, राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव, दबाव में आकर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में जबरन प्रवेश कर, प्रार्थीगण की भूमि के बाबत् बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये रास्ता निकालने में उद्दत हो रहा है। यदि अप्रार्थी संख्या 3 को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया कि, वह उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण के उपयोग, उपभोग में बाधा नही करें, प्रार्थीगण की भूमि में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये रास्ता नही निकालें, राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तो प्रार्थीगण को अधिक कठिनाई होगी तथा अप्रार्थी संख्या 3 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वह प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2 के खातेदारी की भूमि में किसी तरह से दखलअन्दाजी नही करें तथा इसी परिपेक्ष में प्रार्थीगण के अधिकार, खातेदारी की भूमि में से रास्ता नही निकाले तो अप्रार्थी संख्या 3 को कोई कठिनाई नही होगी। भारतीय संविधान के अधीन एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल अविधिक कृत्य करने में पाबन्द किये जाने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 3 को कोई कठिनाई नहीं होगी। अन्यथा भी यह विधि से सुस्थापित है कि, if any act done without law is illegal action and court is supposed to restrain the illegal act of the parties- अतः प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर, अप्रार्थी संख्या 3 को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि, उपरोक्त प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 1 में वर्णित ग्राम बान्दरसिन्दरी स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 150/1 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा संख्या 150/2 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा इस प्रकार कुल 13 बीघा 3 बिस्वा तथा खसरा संख्या 168/1 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 168/2 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 597 रकबा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 598 रकबा 7 बीघा एवं खसरा संख्या 600 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा इस प्रकार कुल 21 बीघा 15 बिस्वा में दखलअन्दाजी नहीं करें, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये रास्ता नही निकालें, प्रार्थीगण के उपयोग, उपभोग में बाधा नही करें, राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध पारित की जावे।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 17.09.2020 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई, अप्रार्थी संख्या 02 स्वयं उपस्थित हुआ। दिनांक 11.10.2022 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का जवाब बन्द किया गया। दिनांक 24.12.2024 को वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर अन्तिम बहस सुनी गई। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा वाद अधीन भूमि में से रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ ना ही इस बाबत कोई नोटिस, अधिसूचना अथवा सूचना पत्र संलग्न किया गया है जिससे प्रतीत हो कि अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा ऐसा करने का प्रयास किया गया हो। मूल वाद का निर्धारण सरकार जवाब लिया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जायेगा किन्तु

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

ना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. निराधार प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24/12/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से

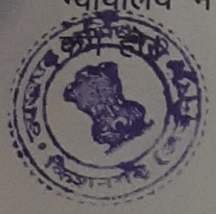

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)